52

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

15

पत्रांक : 70 / प्र0अ0–भवन / जोन–1 / 2012 13 दिनांक 16 / 04 / 2013

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **व्यवसायिक / अतिथि–गृह भवन** मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री के0पी0 सिंह व अन्य द्वारा भवन संख्या–170 / 2 पार्ट पोर्शन आफ प्लाट नं0–170 & 4 सी.वाई. चिन्तामणि घोष रोड, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत **व्यवसायिक / अतिथि–गृह भवन** निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अध्यासन / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.5 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 05 छायादार वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल का अधिभोग / उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
6. सोलर हीटिंग सयंत्र की स्थापना करना होगा।
7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वाटर ग्राउण्ड बोर्ड से सत्यापन के पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
8. मानचित्र में पीले रंग में दर्शित अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर ध्वस्त कराकर इ0वि0प्रा0 को सूचित करना होगा, अन्यथा इ0वि0प्रा0 द्वारा स्वयं ध्वस्त कराकर इस पर होने वाला व्यय भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा।
9. बेसमेन्ट में प्रकाश एवं संवातन हेतु यांत्रिक व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
10. भविष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में कोई शुल्क अथवा प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते है तो वह आवेदक पर बाध्यकारी होगा।
11. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
13. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण बन गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाए, में कर देगा।
14. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1985) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
15. यदि भूखण्डों का उप विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
17. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होना पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(सुधाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव / प्र0अ0–भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

16/4
9853010109

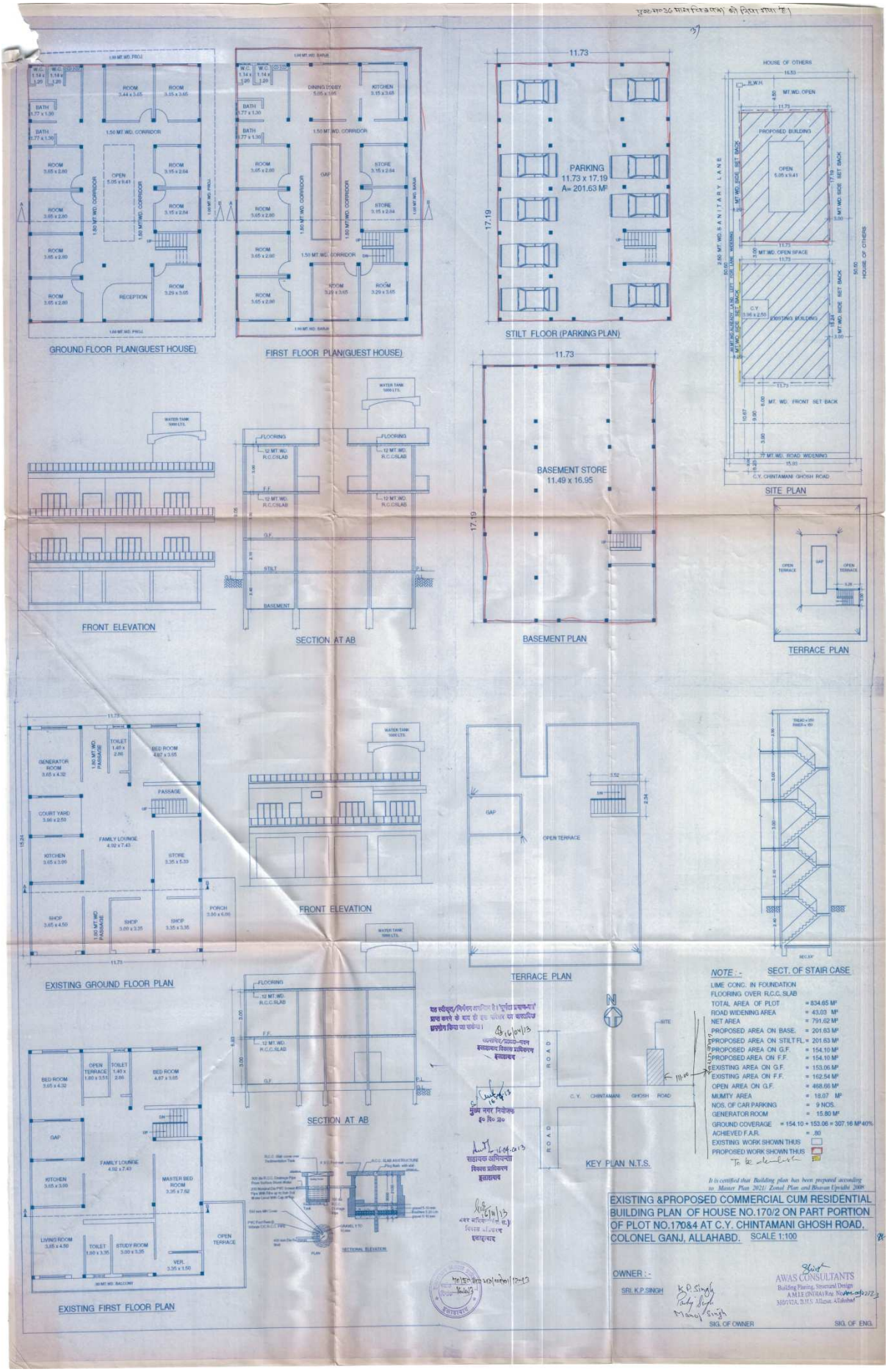

NOTE :-

LIME CONC. IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C. SLAB

TOTAL AREA OF PLOT	= 834.65 M²
ROAD WIDENING AREA	= 43.03 M²
NET AREA	= 791.62 M²
PROPOSED AREA ON BASE.	= 201.63 M²
PROPOSED AREA ON STILT FL.	= 201.63 M²
PROPOSED AREA ON G.F.	= 154.10 M²
PROPOSED AREA ON F.F.	= 154.10 M²
EXISTING AREA ON G.F.	= 153.06 M²
EXISTING AREA ON F.F.	= 162.54 M²
OPEN AREA ON G.F.	= 468.66 M²
MUMTY AREA	= 18.07 M²
NOS. OF CAR PARKING	= 9 NOS.
GENERATOR ROOM	= 15.80 M²
GROUND COVERAGE	= 154.10 + 153.06 = 307.16 M² 40%
ACHIEVED F.A.R.	= .80
EXISTING WORK SHOWN THUS	
PROPOSED WORK SHOWN THUS	
To be demolish	

It is certified that Building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhavan Upvidhi 2008

EXISTING &PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF HOUSE NO.170/2 ON PART PORTION OF PLOT NO.170&4 AT C.Y. CHINTAMANI GHOSH ROAD, COLONEL GANJ, ALLAHABD. SCALE 1:100

OWNER :-
SRI. K.P.SINGH
K.P. Singh
Manoj Singh
SIG. OF OWNER

AWAS CONSULTANTS
Building Planing, Structural Design
A.M.I.E (INDIA) Reg. No.
SIG. OF ENG.